FORM NO. III

APP-A
Orim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

2022/224

जज अदालत अति. जिला कलक्टर मुकाम झुंझुनू

खाद्य सुरक्षा अधिकारी झुंझुनू बनाम रामप्रताप वारीसपुरा झुं.

किस्म मुकदमा खाद्य सुरक्षा एक्ट नं. 28 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/7/22	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफएसएसए एक्ट 2006 एव नियम 2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव द्वारा पेश करने पर बाद जांच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। गैरसायल की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 10/8/2022 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर झुंझुनूं	
10.08.2022	पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित। गैरसायल ने उपस्थित होकर अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 12/08/2022 को पेश हो।	रामप्रताप
12/08/2022	पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदकगण स्वयं उपस्थित। मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब व बहस पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अनावेदक/अभियुक्त का कथन है कि उसने एच 265 ए द्वितीय फेज रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया झुन्झुनू में मै0 खुशी एन्टरप्राइजेज, के नाम से फर्म कर रखी है। जहां वह लूज काजु बाजार से खरीद कर बेचान करता है। तथा इस लूज काजु में अपने स्तर पर कोई मिलावट नही की है। अतः [illegible] प्रकरण में अनावेदक पर कम से कम जुर्माना किया जावे। हस्तगत प्रकरण में [illegible] द्वारा जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./ 1183/ [illegible]/2022/1245 दिनांक 01.04.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ काजु (लूज) सबस्टैण्डर्ड (Sub standard as it does not conform to the prescribed standards of Food Sefety and Standards(Food Products Standards and	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.08.31 17:08:03 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	Food Additives) Regulations, 2011) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक अपनी फर्म मै0 खुशी एन्टरप्राइजेज पर काजु(लूज) का बेचान करता है तथा फर्म मालिक है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ काजु(लूज) के सबस्टैण्डर्ड (Sub-Standard) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री रामप्रताप पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जाट, मै0 खुशी एन्टरप्राइजेज, एच 265 ए द्वितीय फेज रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया झुन्झुन को धारा 26 की उपधारा (2)(II) को दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक को 2000/- दो हजार रूपये अर्थदण्ड/ जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.08.31 17:08:03 IST
Reason: SelfAttested